न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

पीठासीन अधिकारी श्री मंगलाराम पूनिया, आर.ए.एस.

2022-502RAAJodhpur2022-185RTA223 Mangilal Vs Rajuram etc

मांगीलाल पुत्र श्री बिरमाराम जी, जाति जाट,
निवासी- ग्राम भैसेर कूतड़ी, तहसील तिंवरी, जिला
जोधपुर।

अपीलाण्ट ...

ब

ना

म

1. राजूराम पुत्र भगाराम
2. जेती पत्नी राजुराम
3. भोमाराम पुत्र रुगाराम
4. अर्जुनराम पुत्र रुगाराम
5. पपुराम पुत्र बीरमाराम
6. नरसिंगाराम पुत्र बीरमाराम
7. शेराराम पुत्र बीरमाराम
8. चेनाराम पुत्र बीरमाराम
9. अणदु पत्नी बीरमाराम
10. दमी पत्नी जेठाराम
11. गोपाराम पुत्र भगाराम
12. भगवानाराम पुत्र भैराराम
13. नेनाराम पुत्र मगनाराम
14. चम्पाराम पुत्र मगनाराम
    सभी जातियान् जाट, निवासीगण- ग्राम भैसेर कूतड़ी,
    तहसील तिंवरी, जिला जोधपुर।
15. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तिंवरी।

रेस्पो. ...

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी
अधिनियम 1955 बरखिलाफ निर्णय एवं डिक्री दिनांक
21 जुलाई 2022 सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड
अधिकारी, औसियां राजस्व मूल वाद संख्या 120/2019
राजुराम व अन्य बनाम मांगीलाल इत्यादि

उपस्थित-

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

श्री रोशन लाल, अधिवक्ता-अपीलाण्ट
श्री सिद्धार्थ परिहार, अधिवक्ता- रेस्पो. संख्या एक से चार
श्री दयाराम चौधरी, राजकीय अधिवक्ता रेस्पो. संख्या 15

नि र्ण य

दिनांक : 05 जनवरी 2023

अपीलाण्ट्स ने सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी औसिंया द्वारा राजस्व मूल वाद संख्या 120/2019 राजुराम व अन्य बनाम मांगीलाल इत्यादि में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 21 जुलाई 2022 के खिलाफ आलौच्य अपील अदालत हाजा के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 223 के तहत दिनांक 28 नवंबर 2022 को प्रस्तुत की है।

अपीलांट द्वारा एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 म्याद अधिनियम प्रस्तुत कर अपील प्रस्तुति में हुए विलंब को क्षमा किये जाने का निवेदन किया।

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि रेस्पोडेंट संख्या एक से चार द्वारा एक वाद बाबत खातेदारी घोषणा, बंटवाड़ा एवं स्थाई निषेधाज्ञा का वादग्रस्त भूमि खसरा नं. 133 रकबा 18.10 बीघा, खसरा नं. 135/2 रकबा 30.18 बीघा ग्राम भैसेर कुतड़ी तहसील तिंवरी के संबंध में अपीलांट एवं अन्य रेस्पोडेंट्स के विरुद्ध विचारण न्यायालय के समक्ष पेश किया। विचारण न्यायालय द्वारा वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी गण को जरिये सम्मन तलब किया गया। अपीलांट एवं अन्य प्रतिवादीगण द्वारा जवाब प्रस्तुत किया गया। विचारण न्यायालय द्वारा दिनांक 16 मार्च 2022 को निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री जारी कर विभाजन प्रस्ताव तलब किया गया। विभाजन प्रस्ताव प्राप्ति के पश्चात दिनांक 21 जुलाई 2022 को अपीलाधीन निर्णय एवं अंतिम डिक्री के जरिये

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

वादीगण/रेस्पो. संख्या एक से चार का वाद स्वीकार कर लिया, जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट ने आलौच्य अपील प्रस्तुत की है।

बहस सुनी गई। अधिवक्ता-अपीलाण्ट ने तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश पारित करने में कानूनी तथ्यात्मक एवं विधिक भूल की है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थी व अन्य प्रत्यर्थीगण के विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाये बिना ही अपीलाधीन निर्णय पारित किया है जो कार्यवाही विधि विरुद्ध होने के कारण अपास्त किये जाने योग्य है। वादी द्वारा अपना वाद साबित ही नहीं किया गया है न ही वाद में विवाद बिंदु कायम किया गया है, जिसका निस्तारण किये बिना ही आलौच्य निर्णय एवं डिक्री पारित की गई है, जबकि विवादित बिंदु को तय किये बिना वाद का निस्तारण नहीं किया जा सकता है। अपीलार्थी को सुनवाई का अवसर नहीं दिये जाने के कारण अपीलार्थी अपना पक्ष अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं कर सका, जिस कारण भी आलौच्य निर्णय एवं डिक्री प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतो के विपरीत होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है। अपीलार्थी व वादी के मध्य हिस्सो को लेकर विवाद है, इसलिए बंटवाड़ा का वाद चलने योग्य नहीं रह जाता है। राजस्व रेकर्ड जमाबंदी में पक्षकारान् के हिस्से दर्ज नहीं होने के कारण आलौच्य निर्णय एवं डिक्री अपास्त किये जाने योग्य है। वादी द्वारा अपने वाद के समर्थन में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की है। बंटवाड़ा प्रस्ताव पटवारी हल्का द्वारा तैयार किया गया है तथा मौके पर जाकर तैयार नहीं किया गया है तथा न ही पक्षकारो की उपस्थिति में तैयार किया गया है। इस तरह से नियम 18 से 21 की पालना नहीं की गई है, जिस कारण भी अंतिम निर्णय एवं डिक्री अपास्त किये जाने योग्य है। प्रारम्भिक डिक्री पारित की जा चुकी है, इसलिए अपीलार्थी दोनो

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

डिक्रियों से व्यथित होने के कारण अपील संयुक्त रूप से प्रस्तुत कर रहा है, जिसकी संयुक्त रूप से अपील प्रस्तुत करने की अनुमति प्राप्त करने का अधिकारी है। प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 म्याद अधिनियम पर वकील अपीलांट के कथन है कि विचारण न्यायालय द्वारा अपीलांट के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाये बिना तथा उसे सुनवाई का अवसर दिये बिना अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री पारित किया गया है। वर्तमान में पटवारी हल्का द्वारा राजस्व रेकर्ड में परिवर्तन की बात कहने पर आलौच्य आदेश के बादेश जानकारी हुई, जिस पर दिनांक 25.11.2022 को नकल हेतु आवेदन करने पर उसी दिन नकल प्राप्त हो गई, जिसे पढकर सुनाये जाने से अपीलार्थी को आलौच्य आदेश की प्रथमबार जानकारी हुई। अपीलांट द्वारा जानकारी से अपील अंदर म्याद प्रस्तुत की गई। अंत में अपीलांट के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 म्याद अधिनियम स्वीकार किया जावे एवं अपील अपीलांट अंदर म्याद शुमार की जाकर गुणावगुण पर अपील अपीलांट्स स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी औसिंया द्वारा राजस्व मूल वाद संख्या 120/2019 राजुराम व अन्य बनाम मांगीलाल इत्यादि में पारित निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री दिनांक 16 मार्च 2022 एवं निर्णय एवं अंतिम डिक्री दिनांक 21 जुलाई 2022 को निरस्त किये जाने आदेश फरमावें तथा हस्तगत प्रकरण में अपीलांट को सुनवाई का अवसर देकर विधिनुसार निर्णय पारित करने हेतु प्रतिपेषित किया जावे।

जबाब में अधिवक्ता रेस्पो. संख्या एक से चार ने अपीलाधीन निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री एवं निर्णय एवं अंतिम डिक्री का समर्थन करते हुए कथन किया वादग्रस्त भूमि रेस्पोडेंट संख्या एक से चार खरीदसुदा भूमि है। विचारण न्यायालय द्वारा उभय पक्ष की समुचित सुनवाई उपरांत

राजस्व अपील प्राधिकारी

निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री जारी कर तहसीलदार से विभाजन प्रस्ताव तलब किये जाने के आदेश पारित किये, जिसकी अपीलांट द्वारा कोई अपील प्रस्तुत नहीं की गई। विभाजन प्रस्ताव प्राप्त होने पर अपीलांट/प्रतिवादीगण की ओर से आपत्तियॉ प्रस्तुत की गई, जो विचारण न्यायालय द्वारा स्वीकार की जाकर विभाजन प्रस्ताव पुनः तलब किये जाने के आदेश पारित किये थे, जिसकी पालना में तहसीलदार स्वयं ने मौके पर जाकर उभय पक्ष की उपस्थिति में विभाजन प्रस्ताव तैयार किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त विभाजन प्रस्ताव के आधार पर विधिसम्मत निर्णय एवं अंतिम डिक्री पारित की है। कानूनन दो डिक्रीयों को एक ही अपील में चुनौती नहीं दी जा सकती है। अपीलांट ओर से दोनो निर्णय एवं डिक्री पारित होने के समय अधिवक्ता उपस्थित थे। अपीलांट द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 म्याद अधिनियम में मिथ्या कथन किये गये है। अतः प्रस्तुत अपील सारहीन एवं म्याद बाधित होने से खारिज की जावे।

राजकीय अधिवक्ता प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों के परिप्रेक्ष्य में न्यायोचित आदेश पारित किये जाने का निवेदन किया।

बहस पर मनन किया गया एवं उपलब्ध अभिलेख का आद्योपान्त गम्भीरतापूर्वक अध्ययन किया गया। प्रस्तुत न्यायिक नजीरो का ससम्मान परिशीलन किया गया। जहां तक अपीलांट द्वारा अपील प्रस्तुति में हुए विलंब का प्रश्न हैं। रेस्पोडेंट्स द्वारा प्रार्थना पत्र में खण्डन में कोई शपथ-पत्र पेश नहीं किया हैं। मामले के गुणावगुण पर निस्तारण हेतु न्याय हित में प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 05 म्याद अधिनियम स्वीकार किया जाकर अपील अंदर म्याद शुमार की जाती है।

विचारण न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन मुताबिक विचारण न्यायालय के समक्ष प्रतिवादीगण द्वारा जरिये अधिवक्ता

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

उपस्थित होकर अपना जबाब दावा प्रस्तुत किया जाना पाया जाता है। विचारण न्यायालय द्वारा उभय पक्ष को साक्ष्य प्रस्तुति के समुचित अवसर दिये जाने के पश्चात दिनांक 16 मार्च 2022 को उभय पक्ष की सुनवाई उपरांत जमाबंदी मे दर्ज हक-हिस्से अनुसार निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री जारी कर तहसीलदार तिवंरी से विभाजन प्रस्ताव तलब किया जाना पाया जाता है। विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री से पक्षकारान् के हिस्से प्रभावित नहीं होने से उसमें हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं है।

विचारण न्यायालय की आदेशिकाओं के अवलोकन मुताबिक दिनांक 14 जून 2022 को विभाजन प्रस्ताव पर प्रतिवादीगण की ओर से आपत्तियॉ जाहिर करने पर विचारण न्यायालय द्वारा उक्त आपत्तियो को स्वीकार कर तहसीलदार तिंवरी से स्वयं तथा पक्षकारान् की उपस्थिति में विभाजन प्रस्ताव पुनः तलब किये जाने हेतु तहरीर जारी किये जाने के निर्देश दिये गये।

विचारण न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध बंटवाड़ा प्रस्ताव तैयार किये जाने के नोटिस के अवलोकन मुताबिक तहसीलदार तिंवरी द्वारा पक्षकारान्, भू-अभिलेख निरीक्षक एवं पटवारी हल्का को दिनांक 30 जून 2022 को विभाजन प्रस्ताव तैयार किये जाने हेतु मौके पर उपस्थित रहने हेतु सूचित किया गया, किंतु विभाजन प्रस्ताव नियत तारीख पेशी दिनांक 30 जून 2022 से पूर्व ही दिनांक दिनांक 28.06.2022 को **राजस्थान काश्तकारी अधिनियम (राजस्व मण्डल) नियम 18 से 21** की की पालना में तहसीलदार तिंवरी द्वारा स्वयं मौके पर नहीं जाकर तथा अपीलांट्स अनुपस्थिति में भू-अभिलेख निरीक्षक एवं पटवारी हल्का द्वारा तैयार किया जाना पाया जाता है। विचारण न्यायालय द्वारा उक्त विभाजन प्रस्ताव के आधार पर अपीलाधीन निर्णय एवं अंतिम डिक्री

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

पारित किया जाना पाया जाता है। इन परिस्थितियों में अपीलाधीन निर्णय एवं अंतिम डिक्री अदालत हाजा की राय मे समर्थन योग्य नहीं ठहरते है।

उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है तथा सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी औसिंया द्वारा राजस्व मूल वाद संख्या 120/2019 राजुराम व अन्य बनाम मांगीलाल इत्यादि में पारित निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री दिनांक 16 मार्च 2022 को यथावत रखा जाता है तथा निर्णय एवं डिक्री दिनांक 21 जुलाई 2022 को अपास्त किया जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वह मामले में विभाजन प्रस्ताव **राजस्थान काश्तकारी अधिनियम (राजस्व मण्डल) नियम 18 से 21** की पालना में तहसीलदार तिंवरी स्वयं द्वारा पक्षकारान् की उपस्थिति में बाई मिट्स एंण्ड बाउण्ड्स तलब कर, उस पर पक्षकारान् को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए अंतिम निर्णय डिक्री पारित करे।

निर्णय आज खुले न्यायालय में सुनाया गया।

05.1.2023.

मंगलाराम पूनिया
राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर